

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR **Projects by Law Students**



Under the guidance of

**Chairperson ,
Justice N.K. Jain
(Former Chief Justice
High Court of Madras & Karnataka)**

**With best Compliments
RSHRC**

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION



**Under the guidance
of Hon'ble Mr.
Justice N.K. Jain.**

(Former Chief justice of
Madras and Karnataka
High Court)
Chariperson, RSHRC

**Prepared by:-
Internship students of
various law
university and
colleges.**

HUMAN RIGHTS COMMISSION

- Human Rights Commission is an autonomous body to protect and promote basic rights of citizens. Its primary aim is to help every deprived person to acquire equal status in society.
- By the Parliamentary act there is National Human Rights Commission at New Delhi and each state has State Human Rights Commission. This commission has power equivalent to a civil court. It has equivalent power to hear the plea of sufferer and give recommendation to concerned department to work on it. Its recommendation has a high stake and non performance on its recommendation can lead to questioning in the Legislative Assembly. Otherwise the government has to give reason for not compliance. The commission or the other party can file writ petition in the High Court.

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

- **The State Government of Rajasthan issued a Notification on January 18, 1999 for the constitution of the State Commission having one full time Chairperson and 4 Members in accordance with the provisions of The Protection of Human Rights Act, 1993. The Commission was fully constituted by appointment of the Chairperson along with the Members and became functional from March 2000. The main mandate of the State Commission is to function as a watch dog for human rights in the State. Under the 1993 Act, human rights are defined in Section 2 (d) and are those justiciable rights which can be enforced in a court of law in India.**
- **The Rajasthan State Human Rights Commission is reconstituted on 6th July 2005. One of the leading State Commissions in the country. In a short span of about four years it has achieved many milestones in its mission for the protection and promotion of Human Rights.**

PRIMARY CATEGORIES OF HUMAN RIGHTS

- **Civil Rights**
- **Political Rights**
- **Economic Rights**
- **Social Rights**
- **Cultural Rights**

ISSUES IN HUMAN RIGHTS

- RIGHTS PERSPECTIVE FOR GOOD GOVERNANCE
- CORRUPTION AS VIOLATOR OF HUMAN RIGHTS
- RIGHTS PERSPECTIVE AS CENTER STAGE TO DEVELOPMENT AGENDA

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

- The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:-
- (a) inquire, suo motto or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf (or on a direction or order of any Court), into complaint of
 - ❖ (i) violation of human rights or abetment thereof; or
 - ❖ (ii) negligence in the prevention of such violation, by a public servant;
- (b) intervene in any proceeding involving any allegation of violation of human rights pending before a court with the approval of such court

functions contd...

- (c) to visit, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any jail or other institution under the control of the State Government, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection, for the study of the living conditions of the inmates thereof and make recommendations thereon to the Government;
- (d) review the safeguards provided by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation;
- (e) review the factors, including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial

NEED FOR HUMAN RIGHT COMMISSION

- **To develop fully the human personality and the sense its dignity .**
- **To develop attitudes and behaviour to promote respect for the rights of others.**
- **To ensure genuine gender equality and equal opportunities for women in all spheres.**
- **To promote understanding and tolerance among diverse national, ethnic, religious, linguistic and other groups.**
- **To strengthen respect for rights of a human being and fundamental freedom.**
- **To empower people to participate actively in the life of a free society.**
- **To promote democracy, development, social justice and communal harmony among citizens.**

About Justice N.K. Jain

- Born on 20.10.1942 at Alwar S/o Late Justice J.P. Jain. He pursued his LLB from Jodhpur University, Rajasthan.
- An accomplished sportsman during school and college days and recipient of best sportsman award from Rajasthan University.
- Justice Jain has been the State Badminton Champion and has represented the State at Nationals and International levels for 14 years 1955-1968, and in 1977.



Cont.

- He has been the former Chief Justice of Madras and Karnataka High Court for **5 years** . Before taking charge as Hon'ble Chairperson of Rajasthan State Human Rights Commission on **16th July 2005**, he had been discharged his duties as Lokayukta & Chairperson of Himachal Pradesh Human Rights Commission in Shimla.
- He has been the member of bar council of Rajasthan for **19 years**, till elevated.
- He has also been the member of Bar Council India and Bar Council Trust, NLS Bangalore.
- Justice Jain has created a lot of awareness about Human Rights with great proficiency and tireless efforts.
- Regarding awareness of human rights and many other legal issues, Justice Jain has written many booklets in Hindi as well as English. Some of these booklets are also available on Commission's Website-www.rshrc.nic.in, a German Website herenow4u.de. Some books are also available on his own website: justicenasingendrakjain.com
- Simultaneously, Justice Jain is also creating awareness of the duties mentioned in Article 51-A and made a Performa of these duties in simple language. About 100 educational institutions are taking pledge of these duties at the time of morning prayer. Many N.G.Os are also trying their best for the same awareness, with the inspiration from Justice Jain.
- He had also been Member with two Chief Justice in the Committee constituted by Chief Justice of India to examine the recommendations of Arrears Committee Report 1989-1990 (Justice Malimath Committee Report) and First National Judicial Pay Commission (Justice K. Jagannath Shetty Commission) Report.
- He was Chairman of Advisory Board and then Presiding Officer of the Tribunal Under the Criminal Law Amendment Act from 03-03-1998 to 08-01-1999.
- Executive Chairman of Tamilnadu State Legal Service Authority and patron-in-chief and also of Karnataka State Legal Authority.
- Attendent Chief Justice Conference of chief justice of different countries at colombo.

**Hon'ble Chairperson and
Members Of Rajasthan
State Human Rights
Commission are :**

From 06-07-2005

**Justice N K Jain,
Chairperson**

Members

Justice Jagat Singh

Shri D.S.Meena

Shri Pukhraj Seervi

12



Hon'ble Chief Minister Shri Ashok Gehlot

BOOKS PUBLISHED

- These books are kept in the Libraries of different schools and colleges for awareness of students as well as the teaching and ministerial staff. Some books are even kept in the UN-Congress Library at New Delhi.
- Teachers of various school are interacting with the students on these issues in zero hours.
- About legal aid committees, NGO's / Educational Institutions above 45, and some Newspapers have re-printed/Published these booklets as intimated and about 70,000 booklets titled on women, child rights, dalits, arrest, human rights and HIV have been published and distributed free of cost among the general public to create awareness.

Legal Awareness Programmes

- **For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 70000 in numbers.**
- **Some of these booklets are available on Commission's website www.rshrc.nic.in and justicenagendrakjain.com. English translation of Some booklets are also available on a German website herenow4u.de.**
- **The books are:**

31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain (Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues



BOOKS माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व मुख्य न्यायाधीपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय) ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न है:—

1. सन्धारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) **www.herenow4u.de (Eng.)**
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुव्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। (पुनः प्रकाशित)
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। (पुनः प्रकाशित)
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियाँ एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। (पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)
13. दलितों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) (पुनः प्रकाशित)
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ (पुनः प्रकाशित-2008)
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. **www.rshrc.nic.in**
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.

Fundamental Duties Art 51-A

- The Commission under the guidance of the Hon'ble Chairperson is making the common people aware about the duties mentioned in Art. 51(A) of the Constitution.
- Justice N.K Jain has made the Performa of these duties and distributed. So many institutions have reprinted and distributed in public to create awareness as many people are not aware of their duties.
- He is motivating students of various schools, colleges and other institutions. Students of these institutions are reciting the oath of article 51(A) of Constitution of India under the guidance of R.S.H.R.C.

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)



**For Legal awareness and In Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur**



website : rshrc.nic.in, herenow4u.de

<http://justicenagendrakjain.com>

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur

Phone : 0141-2751417, 2751352

- 1. World Vision India. Jaipur.
- 2. HEDCON.
- 3. Jain Anusheelan Kendra, Jaipur.
- 4. Navmangal Shiksha Samitee, Jaipur.
- 5. Jaipur Child Line, Dial- 1098.
- 6. Bhartiya Chritra Nirman Sansthan, (NGO in tihar jail.)
- 7. Vidhya Trust, Jaipur.
- 8. J.P.J. financial services, raja park, Jaipur.
- 9. Prayas ,Center for special education and vocation training.
- 10. Shree Digamder Jain Nasia Udayalal Ji Trust, Jaipur.
- 11. PAHAL Peoples Trust, Jaipur
- 12. Director, Tagore group of Education, Jaipur.
- 13. Principal, D.A.V. Centenary School, Jaipur.
- 14. Shree Mahaveer Jain High School Alumini Association , Jaipur.
- 15. Jaipur Bal Shramik Priyajana Sanstha, Jaipur.
- 16. Principalm Central Academy , Jaipur.
- 17. Rajasthan Chamber of Commerce and Industries, Jaipur.
- 18. District & Sessions Court, Rajsamand.

- 19. Indian UNESCO Club, Rajasthan Bhilwara.
- 20. President, Lions Club, Jaipur(District 323 E-1 Club no.026309)
- 21. Bhagwan Mahaveer Cancer Hospital and Research Center, jaipur.
- 22. Modi Institute of Technology and Science, Laxmangurh.
- 23. Principal., Aggrawal B.Ed. College, Jaipur.
- 24. Director, Biyani Girls College, Jaipur.
- 25. Principal, A.V.M., School, Ambawadi, Jaipur.
- 26. Principal, Subodh PublicSchool, Jaipur.
- 27. Jayeswal Kutir Udhyog,D-2, Raman marg, jaipur-4.
- 28. Surbhi Export, Laxminarayan mandir, gurunanak pura, Jaipur.
- 29. District Chairman, Rajasthan Pensioner Society, Jaipur.
- 30. Lokshikshak Patrika Prakshan, Jaipur
- 31. Jaipur Cancer Relief Society.
- 32. Koshish Sansthan, Jaipur
- 33.ZUNETECH CONSULTING PVT.LTD , DELHI/BANGLORE
- 34.Vimukti sansthan/vimukti girls school, Jaipur
- 35. Jaipur theosophical lodge .

- 36. President Lions Club (District 323 E-1 Club No. 026309) & Jaina Printers, Jaipur**
- 37. Rajasthan Rajya Shakari Mudranalaya Limited, Jaipur**
- 38. Bharatvirshya Digamber Jain Tirthshatra committee Mumbai, Rajashthan Anchal.**
- 39. Vidyasthali Group of Institutions Jaipur**
- 40. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur**
- 41. Jaipur Diabetes & Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur**
- 42. Vinayak Farma, D-74, Ghiya Marg, Banipark, Jaipur**
- 43. Smt. Lalita Devi, Ramchandra Kasliwal Trust, Jaipur**
- 44. District Jaipur Badminton Association, Jaipur**
- 45. Helpage (India), Jaipur**
- 46. Rajasthan polytechnic college, Ratangarh (churu) & Sambal Seva Sansthan, Jaipur**
- 47. Dr. B. Lal Clinical Laboratory, Jaipur**
- 48. Vashali Hitkari Sangthan, Jaipur**
- 49. Secretary, Himachal Human Rights Commission , Shimla**
- 50. Rajdhani Hospital and Rajdhani Hotel, Jaipur**

And Many More...

Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.



- In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows:-



बियानी गर्ल्स कॉलेज विद्याधर नगर, जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर छात्राओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए का संकल्प दिलाते कॉलेज के वाइज प्रिंसीपल पी.सी. जांगिड़।



Students of some institutions reciting the Oath as per Article 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.



Students reciting the pledge.

राजस्थान पत्रिका

जयपुर, रविवार, 20 जुलाई 2008

12

छात्रों को पिलाई जाएगी मूल कर्तव्यों की घुट्टी

मानवाधिकार आयोग की पहल
पर शिक्षा विभाग से आदेश जारी
जयपुर, 19 जुलाई (का.सं.)

छात्र जीवन से ही नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की पालना की घुट्टी पिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संवैधानिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प दिलवाने का आदेश दिया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों की पालना का संकल्प दिलाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, जिसकी प्रतियां आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों, अधिकारियों तथा कई दर्जन स्कूलों में भिजवाई गई हैं। शिक्षा विभाग ने आयोग के सुझाव पर माध्यमिक, प्राथमिक और

संस्कृत शिक्षा के निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार की शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 51-ए में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के पालना का संकल्प दिलवाएं।

क्या हैं मूल कर्तव्य

संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं-
» संविधान और उसके आदर्श, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करें » राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें
» भारत की प्रभुता, एकता-अखंडता, सार्वजनिक सम्पत्ति, वन, झील, नदी व वन्य जीवों की रक्षा करें » स्त्री सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग करें » हिंसा से दूर रहकर प्राणियों के प्रति दयाभाव रखें » वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास करें » सभी नागरिकों में समरसता व धातुत्व की भावना का निर्माण करें।

बंदियों ने लिया मानव अधिकार रक्षा का व्रत

भरतपुर भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली जा रही गीता संदेश यात्रा सोमवार को भरतपुर स्थित सेवर कारागार पहुंची। संस्थान द्वारा कारागार में बंदियों को मानव अधिकार रक्षा का संकल्प कराया गया।

कारागार में पहुंची गीता संदेश यात्रा के उपरान्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी, सचिव श्रीचंद साहू, भरतपुर के अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो, उमेश शर्मा, जेलर श्रीराम शर्मा द्वारा कैदियों को चरित्र निर्माण सहित गीता के उपदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर कैदी भगवान सिंह, कांता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, मुख्त्यार सिंह, मानवीर, सीताराम सहित अन्य बंदियों द्वारा संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी से परमात्मा, आत्मा, जन्म, मृत्यु, कर्म के संबंध में प्रश्न पूछे गये। इस दौरान जेल परिसर में गिराज महाराज की जय व श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी बोल गूंजते रहे।



जेल में बंदियों ने लिया रक्षा का संकल्प

भरतपुर, 25 अगस्त। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 12 दिवसीय गीता संदेश यात्रा के अन्तर्गत सेवर केन्द्रीय कारागार भरतपुर में बन्दियों ने मानव अधिकार रक्षा हेतु अपराध मुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान दिल्ली के तत्त्वावधान में खिरला मंदिर दिल्ली से प्रारंभ हुई यात्रा आज तीसरे दिन भरतपुर कारागार में पहुंची तो बंदियों ने बोल गिरांज महाराज की जय से जेल की दीवारों को गुंजा दिया। संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी ने भगवान श्रीकृष्ण के विराट रूप दर्शन के तत्त्वावधान से बन्दियों से अपील की अपराधों की रोकथाम और मानव अधिकारों की रक्षा के महायज्ञ में आहुति देकर ही आप बंधन से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। श्रीचन्द्र साहू राष्ट्रीय सचिव भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने कल मथुरा की कारागार में बंदियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संदर्भित करते हुए कहा कि गीता ज्ञान ही मानव जीवन की सफलता का विज्ञान है इसके बिना परिवार और समाज की सुरक्षा संभव ही नहीं है। समाज सेवी एवं अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ज्ञान ही भगवान है अज्ञान ही शैतान है इसलिये शैतान से मुक्ति हेतु गीता ज्ञान की परम आवश्यकता है। सरदार तारा सिंह ने विश्वत्मा श्रीकृष्ण की तस्वीर पर दुपट्टा पहनाकर और पुष्प अर्पित करके कहा कि भरतपुर कारागार बन्दी उद्धार और राष्ट्र कल्याण का अनुठा अभियान है। देवेन्द्र मिश्र ने बंदियों को गीता की पुस्तकें भेंट की और जेल से बाहर कार्यक्रम करने की अपील भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान से की। अधिवक्ता उमेश शर्मा ने भारतीय चरित्र निर्माण संस्था की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सन् 2003 से ही संस्थान भरतपुर जेल में अपराध मुक्त समाज निर्माण अभियान में जुटा है। कारागार में जेलर श्रीराम शर्मा ने कृष्ण जन्माष्टमी पर गीता के कर्म विज्ञान में संदेश से मानव कल्याण निश्चित साधन बताते हुए कहा कि जेल सुधार और मानव अधिकार रक्षा का यह अद्वितीय अभियान है भरतपुर कारागार प्रशासन का संस्थान की पूर्ण सहयोग सदैव मिलता रहेगा। बन्दी भगवान सिंह गिल्ली, कान्ता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, पण्डित मुख्तियार, सीताराम एवं अन्य बन्दियों ने परमात्मा, जन्म- मृत्यु कर्म और फल के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे जिनका समाधान रामकृष्ण गोस्वामी जी द्वारा श्रीमद्भगवत गीता में संदर्भित करते हुए किया गया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष एनके जैन ने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 ए में वर्णित देश के नागरिक के मूल कर्तव्य का संकल्प कराएं। इसी के अनुसार संस्थान ने बंदियों में संकल्प एवं पढान दिया और बंदियों ने संकल्प लिया।

समाचार जगत >> जयपुर >> 10 दिसम्बर, 2007

अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी निभाएं

अ

न्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। जहाँ तक मानवाधिकार संरक्षण की बात है, यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य को विश्व मानवाधिकार दिवस तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, परन्तु इसे मनाने के लिए लोगों में अभी-अभी उतनी जागरूकता पैदा नहीं हुई है। इस कार्यक्रम में सिर्फ संप्रदात वर्ग का हो जुड़ना काफी नहीं बल्कि हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गाँव बाणों की आम जनता तक को इससे जोड़ना होगा जिससे आगे चलकर वह दूसरों को भी मानव अधिकारों के प्रति सचेत कर सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 (एक्ट नं. 10 ऑफ़ 1999) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1999 में आयोग का गठन हुआ तथा मार्च 2000 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हुई और फिर दिनांक 6.7.2005 को पुर्नगठन हुआ। 16 जुलाई 2005 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरी यही कोशिश रही है कि हर मामले में सोच समझकर निर्णय लिया जाए, जिससे पीड़ित के अधिकारों का हनन रोका जा सके। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से नहीं आएगी। उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। हर वर्ग-खासतौर पर पीड़ित, दलित उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि जिससे यदि सबका घर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहाँ रुक कर उसकी मदद करें ना कि सीधे आगे चले जाएं और बहाना बनाए कि कानूनी प्रक्रिया का झंझट है व समय नहीं है। यदि मानवता के लिए ही किसी के पास समय नहीं है तो फिर क्या खुद मानव बने रहने का उन्हें अधिकार होना चाहिए, यह तो आपको स्वयं को ही तय करना है। जहाँ तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों में आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंगान् लेता है साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ सामाजिक दुष्टाचारों व कुरीतियों को सकारात्मक रूप देने का प्रयास भी कर रहा है। मानव अधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति खास के दायरे में नहीं सिमटा हुआ है, यहाँ जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मंगाकर व सुनकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज आजादी के 60 सालों बाद भी हमें मानवाधिकारों की बात लोगों की तब समझानी पड़ रही है, जबकि देश पूरी तरह से

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

स्वतंत्र हो चुका है परन्तु आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियाँ, अन्धविश्वास प्रचलित हैं। यह एक जटिल समस्या है इसके अलावा कुल लोगों के द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह आयोग जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से आमनागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने का भरपूर प्रयास कर रहा है। कुछ निस्वार्थ व सेवाभावी संस्थाएँ भी इस जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। जिसके फलस्वरूप एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा व अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर मानव अधिकारों के संरक्षण के साथ उनके हनन को रोकने में भी मदद मिल रही है। यह सहयोग जितना अधिक मिलेगा, प्रदेश की जनता के मानव अधिकारों के लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रायः यह भी देखने में आता है कि बड़ी बड़ी बातों की चर्चा तो हर कोई करता है परन्तु छोटी छोटी बातें, जो जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए आज ईसान हर कार्य को दूसरों से ही अपेक्षा करता है यह स्थिति ठीक नहीं कहीं जा सकती। आयोग ने मानवाधिकार के प्रति जागरूकता व अधिकारों के संरक्षण के लिए लोक सेवकों एवं जनसाधारण में संवेदनशीलता से काम करने को बढ़ावा दिया है। आयोग द्वारा दिनांक 6.7.2005 से 30.11.2007 तक 10110 ग्रास परिवारों में से 9418 परिवारों का नरिस्तारण कर दिया गया है तथा 1046 परिवार दिनांक 30.11.2007 को विचाराधीन हैं। मेरा यह भी मानना है कि केवल कानून बनने या उपदेश देने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए हैं, कांजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हाँ, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढ़ी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य है, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसा सोने की चिड़िया कहलाएगा।



का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए हैं, कांजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हाँ, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढ़ी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य है, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसा सोने की चिड़िया कहलाएगा।

जागरूकता की जरूरत

बाल उम्र में ही मानवीय संवेदनाओं को समझाकर अधिकारों के बारे में जानकारी ने का प्रयास किया जा रहा है। गानवाधिकार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पेशकश को कई स्कूलों ने माना है लेकिन अभी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी इसको फलीभूत किया जा सकेगा।

अजमेर रिपोर्टर
अजमेर, 18 सितम्बर

विद्यालयों में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने के लिए एनजीओ को सरकार के साथ की जरूरत है। दोनों के सहयोग से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

यह कहना है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन के चेयरमैन एन.के.जैन का। जैन गुरुवार को सोफिया कॉलेज में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल ऑफ़ राजस्थान की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ मद्रुरै व सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में

आयोजित कार्यक्रम की बैठक में रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.एन.भार्गव ने कहा कि मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। सभी स्टेट्स में राइट्स के प्रति लोगों की अवेयरनेस नहीं है। भार्गव मणिपुर व असम के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। कार्यक्रम में आर.के. सक्सेना रिटायर्ड आई जी. व कॉमनवैलथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि जेल में कैदियों के साथ मानवाधिकार किस प्रकार उल्लंघन होता है। इसका उन्हें काफी एक्सपीरियंस है।

वह इसको खत्म करने के लिए बच्चों को ही इसका पाठ पढ़ाने के हक में है। बैठक में पी.एल. निमरोद सेन्टर फॉर दलित राइट्स जयपुर, सिस्टर कैरल, पुलिस यातना को रोकथाम कार्यक्रमों का कहना है कि मानव अधिकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रास रूट के लिए नुक्कड़ व पपेट शो बेहतरीन ऑप्शन हैं। सोफिया की व्याख्याता सिस्टर मैरियोला, लॉरेंस एंड मेयो के प्राचार्य संजय दत्ता, श्रमजीवी कॉलेज के प्राचार्य अनंत भटनागर, एडवोकेट किशन गुर्जर, आर.पी.जैन, जयपुर की दीपा जैन सोफिया कॉलेज की व्याख्याता संस्था रैना, संगीता सामंत, नलिनी बहुगुणा, ज्योति चंदेल, मीडिया की मधुलिका सिंह, दीपक आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सोफिया कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर सरोना ने आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की स्टेट कॉर्डिनेटर ने प्रोग्राम की कमान संभाली।



सोफिया कॉलेज में आयोजित बैठक में भाग लेते अतिथि।

जमर अजमेर

News Reporting

अधिकारों के साथ कर्तव्य भी निभाएं

जागरूकता मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा।

मानवाधिकार संरक्षण तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष दस दिसंबर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इसकी जागरूकता के लिए हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव-ढाणी की आम जनता को भी इससे जोड़ना होगा। जिससे आगे चलकर वह अन्य लोगों को भी मानवाधिकारों के प्रति सचेत रख सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए 'दा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993' (एक्ट नं. 10 ऑफ 1994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1998 में आयोग का गठन हुआ।

जागरूकता सिर्फ मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा। समर्थ लोग अपने अधिकार व मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम हैं, परंतु हर वर्ग खासतौर पर मीडिया, दलित, उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि यदि सड़क पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रुककर उसकी मदद करें न कि सीधे आगे चले जाएं। जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों के आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसन्नान लेता है। साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानवाधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति विशेष के दायरे में सिमटा हुआ नहीं है, यहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मांगकर व सुनकर दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। जिन आदेशों की पालना नहीं हुई उनके बारे में सरकार को विधानसभा में कारण बताने होते हैं।

- न्यायमूर्ति एन.के. जैन

Human Rights and duties

Protection of Human Rights of all is possible only when everybody has a sense of duty towards this. "We celebrate the International Human Rights Day on December 10 every year, but it is a pity that even today not many know about the day's importance," State Human Rights Commission chairman Justice NK Jain said.

Speaking to HT Jaipur Live, he said that not only the elite section, but people from urban and rural areas including youth, need to be involved in the awareness drive, so that a larger section of the society could be benefited, he said.

Awareness does not come merely by understanding human rights. For this, "we need to understand the meaning of dignity of life. We have to be alert for protecting all sections of the society, the poor, Dalits, women, children and the deprived. Along with awareness we need to be sensitive."

The Human Rights Commission is concerned on all such issues. Apart from grievances addressed to the office, the Commission takes cognizance on the matters being reported in newspapers. It is not confined to any police, court or an individual.

Out of 22 law students of different Univ./Law college, 13 students have made Power Point Project and other have submitted reports on Internship with commission on different respective subjects including Human Rights Commission and Activities.

Sr. no.	Title of projects	Slide No	Student's Name
1.	About Commission and activities	01-28 29-30	Consolidated Index
2.	Women Rights	31-49	Ritushree
3.	Cancer	50-80	Rupendra
4.	Child Labour	81-133	Sandeep
5.	HIV AIDS	134-156	Bhanu pratap
6.	Child Rights	157-179	Vineet Sharma
7	Dalit	180-216	Chandraveer

Various Projects done by internship Students during April 09 to June 09 :

Sr. no.	Title of project	Slide No.	Student's Name
8.	Arrest	217-242	Zeeshan
9.	Environment	243-276	Nikhil Sharma
10	Women's Right	277-291	Dr. Deepa Jain (S.I. RSHRC)
11	Working of commission	294-316	Namit saxena & Abhikalp
12	Juvenile justice	317-344	Tarpit Patni
13	Child Right	345-360	Sheetal Mishra
14	Fundamental Duties Art.51-A Compiled by Thanks to one and all	361-397 / 398 399-400	Trishal Jeet Singh Anand, Pradeep Secretary RSHRC

Under the guidance of Hon'ble Mr. Justice N.K. Jain.
(Former Chief justice of Madras and Karnataka High Court)
Chairperson of RSHRC, SSO building Secretariat, Jaipur



RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

JAIPUR

Project

on

WOMEN RIGHTS



**Under the guidance of
Hon'ble Mr. Justice N.K.
Jain.**

(Former Chief justice of Madras and
Karnataka High Court)
Chariperson, RSHRC

Prepared by:-
Dr. Deepa Jain.

Why women need Human Rights.

There are two major reasons ...

- Social reasons.
- Economic reasons.

Both are discussed as followed...

11/27/2009



Social Reason

- For a long time women are treated secondary to their counterpart i.e. men. They have never been considered equal to man. Since their childhood they are deprived of proper education, proper food, proper respect, and moreover proper rights i.e. Human rights.
- Some of the social practices, that are Dowry, Sati, *Parda*, *House lock in the name of protection*, made women with birth a burden over the family.
- Expenses over girl education considered as waste as it is a well rooted notion that they have to be proficient in household works. It can be visualized in not only most of the villages but in some learned families as well.

Social Reason

- Social laws of marriage, succession are pro husband or sons not of women it means women have no stake in decision and property.
- After the marriage women are totally dependent upon their husband and in case of death or other misfortune happen to him, lead to more social degradation of women in society. Widow remarriage is yet a far dream in distant areas. Thus a lonely woman can not fight for her rights.
- Expressing own view and perception among men still contain insult to men. If a girl give some advice it is of no value, same with her demands. This outlook suppress right to expression of women.
- Child marriage is still in practice as a result a girl dominated by husband with an early age. A wife is not more than a slave in that family who have to follow whatever her husband said. This suppress her *Right to Life*.

11/27/2009

Social Reason

- Leaving home for work or education for girls in Indian families is unsaid prohibited. If a girl is out for some work she have to go with her brother or any male member of the family no matter the male is too younger or lame to protect her. This always breathing her neck is equal to prison without walls. It prohibit her right to liberty and private space.
- If a girl is raped or sexually harassed she is more afraid of deplete her in the eye of society than the crime itself. So sufferer girl and her family not inform police or other authority because of publication of incident. This publication instead of collect sympathy, obstacle her marriage or otherwise. This mind set of society stop a girl to use her right to legal remedy and fair trail.

Economic Reason.

- Poverty is the mother of all deprivation. A poor has to struggle more than a rich for his human rights and if that poor is a woman its too difficult for her to do that.
- From the childhood to the marriage of a girl all economic matters are dominated by her father or brother and after marriage this task delivers to her Husband and after that her son take cares of money matters that mean for whole life a woman remain dependent upon a male dominance for financial matters of the family

This over financial dependence make her deprive of bold decisions for herself in other words she can not use her right for economic determination and development.

Economic Reason.

- In India women are not appreciated when they work outside, they advocated to do household works only. Not only this insecure work place and discriminatory behaviour for gender are other issues. As women have right to work and protection against unemployment, it is indirectly infringement of this right and protection.
- Women don't have their own property, in paternal family all belong to brothers and in husbands family other male members are the owners. So she don't have right to own property unless she educated enough to know her legal rights.

Economic Reason.

- On the other hand education is a big issue. In present scenario almost 60% of women are uneducated or less educated.

Mere making pro women laws and protective provisions are bullet without gun. Here the need of body like Human Rights Commission arises. Some of the laws for women and there implementation are as follows.....

Legal Rights for Women .

■ Indian constitution

Art 39a	Men and women have equal right for employment.
Art 39d	Men and women will get equal wages for equal work.
Art 42	State will provide pregnancy help and ensure humane condition .
Art 51a	It's the duty of all the citizen that thy leave those customs which are against women's dignity.
Art 32 & 11/27/2009 226	Men and women have equal rights for approach court for seeking remedy.

Indian Penal Code 1860

Sec 82	Each have a right to self defense against danger to her life or property.
Sec 304b	Dowry death is a punishable offence whereas punishment can go up to life imprisonment.
Sec 366b 372, 373	Women trafficking for the purpose of prostitution is a punishable offence.
Sec 494 11/27/2009	Remarriage when already had a marriage, is an offence.

Cr.P.C.1973

**Sec 125 to
128**

It has a provision for being nurtured and stipend to wife from husband.

Sec 416

If a lady is pregnant at the time of capital punishment than high court will postponed that punishment and it can convert it into life imprisonment.

Hindu Marriage Act, 1955

Sec
24,25

Women have provision for stipend during prosecution and permanent pension for spending life.

it is an offence to have another marriage if that person has already a wife.

Hindu Succession Act, 1956

Sec 6	A girl with birth have an equal right in the property as if she were a boy.
Sec 14	If a Hindu woman possess a property , she will considered as her real owner.
	each woman can purchase a property in her name and can keep that property with her.
11/27/2009	

Dowry Prohibition and Domestic Violence Act

Under dowry prohibition act taking dowry, giving it, help in it or ask for it is a punishable offence.

under domestic violence act any kind of physical or mental violence against women it may be of oral or bodily, is an offence. and punishable up to life imprisonment.

Duties as integral part of rights.

- It is not important to know human rights only but we must understand our duties also towards society. This is the basic aim of the Rajasthan State Human Rights Commission. it is our duty to protect right of deprive classes .SC, ST or others. We should use our rights with due respect of there rights. Otherwise some capable people will hold all the rights and no capable will remain deprived of it . It will demolish the very dream of commission i.e. complete protection of right . And rights will be the property of powerful ones.

We should remember duties as we remember rights. Fulfilling duties is the best way to protect human rights. Our duty is to practice rights as well as respecting others rights. Our rights should not infringe others rights, it is the lesson for effective protection of human rights.

Human Rights Day

The 10th December 2009

- Under the excellent chairmanship of Justice N.K.Jain , Rajasthan State Human Rights Commission have celebrated International Human Rights Day on the 10th Dec. 2009 at Tagore International N.R.I. School, Jaipur with association of 18 educational institutions and 13 NGOs. as the 60th Anniversary of UN Declaration with slogan “Dignity and justice for all”. Senior Educationist Shri Tej Karan Ji Dandiya, Mr. P.D.Singh, Director of Tagore group of Education, Principal Mrs. Kamal Rathore, and many others actively participated in this Programme. As per the direction of N.H.R.C. about 2500 children took the pledge for the Human Rights.

- Member Justice Mr. Jagat Singh participated in an awareness programme with District Collector, Mughdha Singh, State level officers, advocates and others in Hanumangarh.
- Member Mr. Pukhraj Sirvi gave Human Rights awareness among people in Jodhpur district.
- Moreover according to direction of Mr. Chairman , for spreading awareness among students for Human Rights, many activities as essays, Debate, drawing competitions organized on the subjects as Cancer, HIV AIDS , Child labour, Environment, Child Labour, etc. And many more cultural activities conducted by the Commission.



"WE ARE PROUD TO BE AN INDIAN"

**RAJASTHAN STATE HUMAN
RIGHTS COMMISSION
JAIPUR**

Project

on

**Working of the
Commission**



**Under the guidance of
Hon'ble Mr. Justice N.K.
Jain.**
(Former Chief justice of Madras
and Karnataka High Court)
And
Chariperson, RSHRC, Jaipur



**Namit saxena
Abhikalp Pratap Singh
B.A.LL.B. 1st year
B.A.LL.B. 1st year**




Some



Achievements and about work, Inspection, Instruction and Directions and Paper Cutting



Pertaining
to
RSHRC



Inspections done by the State Human Rights Commission

- On 16th July 2006, member of S.H.R.C., Shri pukhraj seervi inspected the police station of diggi, district tonk and gave the instructions for the good governance.
- Due to the complaint no. 08/05/2091 in SHRC, I.G. of police, Shri N. Mauris Babu surveyed the Balotara police station and gave instructions for their improvement.
- Inspector general of police also presented the inspection report of St. Anslam School to State Human Rights Commission.

Important workings of Rajasthan Human Rights Commission

- Complaint no: 6/15/1528
- In the case of daughter of harkishan bawri, by the suggestion of S.H.R.C. plaintiff got the 50000 Rs/- as a help, by the district collector of distt. Hanumangarh.
- Complaint no: 05/22/ 3781
- In the rap case with smt. Bapu devi meghwal, by the suggestion of S.H.R.C. plaintiff has got the sum of 6250 Rs/- from the district magistrate, Jodhpur.

Some Important decisions/instructions taken by the RSHRC on municipality and other departments

- Due to the complaint no. 08/17/1442, Jaipur municipality department informed the SHRC that they already fixed the whole setup for cleaning system of that colony.
- Due to the complaint no. 08/17/1973, Jaipur development authority informed SHRC that they displaced the mills of statue making and stone cutting machines from the Jhotwada area.
- Due to complaint no. 07/17/1516, SHRC suggests that a poor cancer patient should get proper treatment and other facilities for his health.

- Due to complaint no. 06/17/3509,SHRC gave instructions to Jaipur municipality department, That they should do their duties properly.
- State Human Rights Commission asked Rajasthan aids control society, Jaipur that how they are working for taking the measures for the prevention of AIDS.
- Complaint no. 07/17/3885 regarding inhumane behaviour by Sub inspector Puranmal. Action taken under section 16 cca.
- Complaint no. 08/18/497 directions given to superintendent of police, for a mentally retarded lady and her daughter causing nuisance. Also it was expected for their proper treatment.
- Complaint no. 08/18/418 asked state govt. Regarding electricity expenses on prisoners in open jails.

- Complaint no. 07/17/3497 secretary primary/ middle education directed to render instructions to teachers in schools to check inhumane incidents and physical punishments to students.
- Complaint no. 07/17/2711 collector directed for quick consideration after complainant registered complaint with sdm kotputli, sp jaipur, dgp Rajasthan and chief minister.
- Complaint no. 08/17/1458 collector, jaipur directed to work for forced brick labour as per Supreme Court orders AIR 1984 SC 802.
- Complaint no. 07/17/2260 isotope and atomic technical department, Mumbai informed commission after providing 144 RMM Cobalt-60 supply to JLN hospital, ajmer and will provide SMS hospital, Jaipur with 150 RMM Cobalt-60 supply till July.

- Complaint no. 8/17/1379 school administration informed commission after returning fees to the students competency the directions.
- **Complaint no. 08/17/1193** Raj. Aids Control Society informed commission after stopping interruption by NGO's and dealing with problems of advisors in VSTT, PPTC and blood bank.
- Complaint no.07/17/2021 culprit policemen were punished by officials for cremating dead orphan children without informing their guardians.
- Complaint no. 08/17/796 teasing working women and physical torture as per directed by the Supreme Court of India in *vishakha v Rajasthan*.
- Complaint no. 06/17/2384 SP, city north, Jaipur directed all subordinates not to threaten anybody without reason and informed the commission.

Recurring causes of action

- Commission, in different complaints issued directions to the government to comply as per the directions given by the Supreme Court of India in various matters like treatment for mentally retarded children, environment conservation, eradication of bonded labour, prohibition of noise and air pollution and controlling deaths due to hunger and malnutrition. The commission has also given directions to various departments of state government for distributing information relating to the human rights in following matters also, delay in reports given by F.S.L. relating to custodial deaths, completion of posts in essential services, hygiene in cities, cleaning drains on proper time, coordination among different departments for road uprooting and repairing them, stopping encroachment in cities, measurements for parking facilities in cities, cleanliness and parking at marriage places according to regulations, deep and clear printing of deposited bills in lok mitra services, developing public facility centres, polythene bags, fairs etc.

in addition to above directions government is to maintain time to time maintenance tools and equipments in all the hospitals in the state, H.I.V sufferers, arranging source for cancer sufferers, arranging transformers and open wires of electric supply, removing street animals from road, timely treatment and medication for pensioners, proper behaviour with applicants in police stations, commission has also released directions for awareness programs on district and panchayat levels relating to human rights in different complaints, commission also expect from the public to protect human rights, if it is somebody's right, it's somebody's duty, both have to be complied together. Officers are requested to work in public welfare for proper administration, so that the common man is not troubled and monitor for continuity. The following directions of the commission which are recurring cause of action have not been fully followed as noticed.

News highlighted in leading news papers

मानव अधिकार दिवस विशेष

25 सिफारिशों पर जवाब का इंतजार



कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 9 दिसम्बर

राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से राज्य सरकार को की गई 150 में से दो दर्जन से अधिक सिफारिशों पर सरकार के जवाब का इंतजार है। आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए दलित, बच्चों व महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता जाहिर की है। साथ ही नई सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। जैन ने मानव अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर 'राजस्थान पत्रिका' से विशेष बातचीत में नीकरशाही की कार्यप्रणाली पर बेबाक टिप्पणी की।

उनका कहना था कि विन विभाग और गृह विभाग (आयोग का नोडल विभाग) आयोग के साथ भी मातहत जैसा बर्ताव करते हैं। आयोग ने मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए अपने स्तर पर एक दर्जन से अधिक लघु पुस्तिकाएँ तैयार की हैं, जो शिक्षण संस्थानों व एनजीओ के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं।

आंकड़ों में मानवाधिकार आयोग

(जुलाई 05 से नवम्बर 08 अंत तक)
परिवाद आए- 14000
निस्तामित हुए- 12900
सिफारिश की- 150
पूरी हुई- करीब 125

जैन से बातचीत के अंश

■ क्या आयोग को सरकार से सहयोग मिल रहा है?

सरकारी मशीनरी की धारणा है कि आयोग उन पर धोप दिया है, जबकि वास्तव में आयोग सुशासन में मदद करता है। आयोग ने समय-समय पर वार्षिक ब्यौरा विधानसभा सदन में रखा, लेकिन उन रिपोर्टों का क्या हुआ उसकी सूचना सरकार से नहीं मिली है। उम्मीद है, नई सरकार इस ओर ध्यान देगी।

■ प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की क्या स्थिति है?

देश में सभी जगह आयोग तो बन गए हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। वित्त विभाग आयोग को बजट आवंटन में भी कंजूसी दिखाता है, मानवाधिकार आयोग का नोडल विभाग गृह भी मातहत की तरह व्यवहार करता है। दार्जिलिंग के कार्यकाल में ऊपर तक से सहयोग का भरोसा मिला, लेकिन नीकरशाही की मनमानी नहीं रुकती। आयोग में स्टाफ बढ़ लगता है, जो सरप्लस हो या काम करने की स्थिति में नहीं हो। आयोग ने कई विभागों में दवांगत सुविधा बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन उनमें तो क्या आयोग कर्मचारियों तक के सेवानिवृत्त-वरिष्ठता सम्बन्धित प्रकरण भी सरकार के पास अटके हुए हैं।

■ मानव हित में नई सरकार की प्राथमिकता क्या हो?

राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है। दवांगत सुविधाओं की कमी दूर हो। यातायात समस्या काफी अधिक है, लेकिन यातायात पुलिस चालान का कोटा पूरा करने में लगी रहती है। हादसों के मामलों में सुआवजा समय पर नहीं मिलता, इससे पीड़ित को उचित लाभ नहीं मिलता और फर्जी लोग सुआवजे के लिए आ जाते हैं।

■ आंदोलनों से कैसे निपटा जाए?

आयोग ने गुर्जर आंदोलन और सवाई मानसिंह अस्पताल में रेजीडेन्ट डॉक्टर हड़ताल प्रकरणों में सभी पक्षों से मिलकर समाधान निकालने का आग्रह किया था। आंदोलनकारी, प्रशासन व आम नागरिक सभी मिलकर चलेंगे, तभी देश का हित हो सकता है।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम आज

जयपुर, 9 दिसम्बर (का.सं.)। राज्य मानवाधिकार आयोग के बैनर तले बुधवार को प्रातः साढ़े नौ बजे मानसरोवर स्थित टैगोर एनआरआई इंटरनेशनल स्कूल में मानव अधिकार दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। मानव अधिकार दिवस की साठवीं जयन्ती पर होने वाले इस कार्यक्रम में करीब डेढ़ दर्जन स्कूलों के करीब पांच हजार छात्र-छात्राओं को संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार शपथ दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग से सभी स्कूलों में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने को कहा गया है।

News highlighted in leading news papers

जानें किसके, क्या हैं अधिकार मिलकर उठाएं मानवाधिकारों की आवाज

नगर प्रतिनिधि

कनपुर, 9 दिसम्बर। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के भी कुछ अलग अधिकार होते हैं। हम रोजाना अपने चारों ओर इनके साथ ही रहे अत्याचारों के बारे में देखते-सुनते हैं। इनमें से सब अत्याचार क्यों होतले पड़ते हैं। अगर हम इसके संबंध में जागरूक होंगे तो उठ सकती है एक आवाज उन्हें बचाने के लिए। यहाँ पेज है इस संदर्भ में कुछ जानकारी।

ये हैं मानवाधिकार

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हर ईंसन को वन्मजत मिलते हैं। प्रत्येक मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का हक है। इनमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिप्राय में खाना और अपमानजनक व्यवहार या होने संबंधी अधिकार हैं। इन अधिकारों का हनन धर्म, लिंग, जाति या भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की विधायनी घोषणा की। उस समय विश्व की जनता द्वितीय विश्व युद्ध की पीड़ा से बुरा होकर जाति की चार में थी। तभी से हर साल 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

जानें बुजुर्गों के अधिकार

रेमे बुजुर्गों को अपनी कमाई या संचय से अपना खर्च नहीं बला पति। उनको अपने बच्चों से मुक्त-बलर का खर्च सेने का पूरा हक बनता है।

महिलाओं के अधिकार

पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।

-महिला पुलिस हो ले सकती हैं स्त्री को तलाशी।

- स्त्रियों के साथ मारपीट, भयनात्मक व अर्थिक प्रताड़ना, गाली देना या बने मान आदि।

- पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना कानूनी अपराध।

- गर्भवती महिला को गर्भवस्था के दौरान मितने वाली सुविधाएँ।

- दोग लेना या देना, सहायता करना या मानना कानूनी अपराध है।

बच्चों के भी है हक

-जन्म के साथ ही राष्ट्रीयता।

-स्वयं पोषण, मकान सुविधा, शिक्षा।

-छोटी उम्र में बच्चों को मॉ से अलग नहीं किया जा सकता।

-प्रारंभिक स्तर तक मुक्त व अनिवार्य शिक्षा।

-शोषण, कृमि, उपेक्षा के विरुद्ध सुरक्षा।

-विकलांग बच्चों की विशेष देखरेख।

-चौदह साल से कम उम्र के बालक को किलोकासखने में काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकते।

भाषा जिसमें शिकायत करें

हिन्दी, अंग्रेजी या संविधान की अठवीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में शिकायत लिख सकते हैं। शिकायत के लिए कोई फीस नहीं है। शिकायत अपने आप में पूर्ण होती चाहिए। आपने जब भी आवश्यक समझे, आरोपों के समर्थन में और अधिक सूचना मेकने तथा समय पर दायित्व करने की मांग कर सकते हैं।

युं कैसे शिकायत

एक साल कागज पर हाथ से लिखकर या ई-मेल या फैक्स से निम्न सूचना अंकित करें-

पोंडित का नाम, शिकायती का नाम, जाति, निवास का पूरा पता।

किस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित)।

घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते (यदि ज्ञात हो)।

घटना की पुष्टि करने के दस्तावेजी सबूत (यदि हो तो)।

यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत पेजी हो, तो उसका नाम एवं उस पर कोई कार्यवाई हुई, तो उसका विवरण।

पहले भी आयोग में शिकायत की हो, तो विवरण एवं परिणाम।

शिकायत पर इलाज/अंगूठे का निशान बतार लगाएँ। घटना घटने के एक साल के भीतर ही शिकायत करें। शिकायत आयोग के टेलिफोन नंबर पर भी की जा सकती है।

1993 में हुआ आयोग का गठन

भारत सरकार ने मानवाधिकार की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सितंबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मार्च, 2000 में हुआ।

पहल हमें करनी होगी

हम केवल अधिकारों की बात करते हैं। कतल्यों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम अपने कतलों का निर्वाहन सही करें तो किसी के मानवाधिकारों का हनन हो नहीं सकेगा। हम वैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार चाहते हैं। इसके लिए पहल तो हमें ही करनी होगी। आमतौर तौरों में मानवाधिकारों की बरत से जागरूकता आ रही है।

-जस्टिस एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग।

सपोर्ट की जरूरत

महिलादिन-अतिदिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती या रही है। अब वे अत्याचार को सहन नहीं करती और इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। इसी का मतीका है कि अब महिलाओं संबंधी मामले सामने आने लगे हैं। लेकिन उनको कितना जागरूक होना चाहिए वे ठाने जागरूक नहीं हुई हैं। ये आत्मनिर्भर तो बन रही हैं पर अब भी उनको पर और समाज का डर है। उन्हें आवश्यकता है अपनी के साथ की वित्तने से अपना सम्मान बचा सके। फिर किसी भी मानवाधिकार का हनन नहीं हो सकेगा।

-राज भगदारी, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग।

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व मुख्य न्यायाधिपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न है:—

1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) **www.herenow4u.de (Eng.)**
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुव्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। (पुनः प्रकाशित)
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। (पुनः प्रकाशित)
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियाँ एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। (पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)
13. दलितों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) (पुनः प्रकाशित)
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ (पुनः प्रकाशित-2008)
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. **www.rshrc.nic.in**
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.

Achievement Work

- Some of the books were reprinted and also distributed by forty one institutions ,free of cost for general awareness. 70,000 Books on women, Dalit, child, arrest, Human right and H.I.V. are also published.

In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission.

The commission have received about 15000 complaints and dispose of about 13900 complaints with logical conclusion. In 160 matters direction have been issued to the government out of that about 130 cases have been complied. However direction in above 30 cases are still pending consideration with the government, Also placing some paper cuttings as per material on record.

CONTINUE...

Commission has directed the Principal Secretary, Medical and Health to control smoking in public places and thereafter Govt. of Rajasthan issued a strict directive on prohibiting smoking in government offices, buildings and public places.

Commission visited Pali district and settled the case of Smt. Sushila and her estranged husband.

World Human Rights Day observed on and a workshop organized in HCM RIPA in which Hon'ble C.M. and other dignities.

Commission has directed the Principal Secretary, Medical and Health to control smoking in public places and thereafter Govt. of Rajasthan issued a strict directive on prohibiting smoking in government offices, buildings and public places.

Paper Cuttings

Paper cuttings

लगा शांति बंद, सफाई मा

नों व अस्पतालों का निरीक्षण
करेगा मानवाधिकार आयोग
ए और निगम अधिकारियों को साफ-सफाई पर ध्यान देने के निर्देश

लों में देंगे मानवाधिकारों की जानकारी
बको मिले सच्चा शासन और सुविधाएं
म्या है एसएमएस की मशीनों की बीमारी?

ड की टक्कर से महिला की मौत
गर निगम देगा हर्जाना

य मानवाधिकार आयोग ने दिया 25 हजार क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश

लिय पुराना दृश्य बदले

पार्किंग बगैर
बहुमंजिला भवनों
की इजाजत नहीं दें

में उधारे तो पार्किंग ठेकेदार की छुड़ी

जगाएगा मानवाधिकार आयोग

शिकायतों के निबटारे में आई तेजी, चार माह में 1200 मामले निबट

कल्याणकराज जीनाएं तत्परता से लागू हों

जागरूकता से ही रोका जा

सकता है अधिकारों का हनन

कागजी कार्रवाई के बजाए एक्शन जरूरी-जैन

गायों की मौत के लिए कौन
जिम्मेदार? निगम से पूछा

स्कूलों में मानवाधिकार पाठ्यक्रम
शुरू होगा

लवारिस शव के अंतिम संस्कार का
मामला में सीईओ से रिपोर्ट

जनजागरण से ही
मानवाअधिकार हनन
रुकना संभव

स्वयंसेवी संस्थाएं बचा सकती
हैं लोगों को एड्स से'
हर आदमी को गरिमा
के साथ जीने का
हक : जस्टिस जैन
मानवाधिकार आयोग
की सेमिनार
रक्त के एचआईवी टेस्ट को प्रोत्साहन जरूरी

सर्वेदनशीलता से कार्य करें
मानवाधिकार मामलों में जैन

वेबसाइट पर उपलब्ध
rshrc.nic.in,
विवरण में से कुछ

मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए समा



पशु-पक्षी बेजुबान जरूर है, लेकिन बेजान नहीं

जयपुर (कां.सं.)। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि पशु कल्याण को बढ़ावा देने तथा उन पर हो रही क्रूरता को कम करने के लिए जनचेतना की जरूरत है। न्यायमूर्ति जैन बुधवार को यहां वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित विन ऑफ रिसर्च इन लोकल डवलपमेंट (वर्ल्ड) वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, सरस-यज्ञस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, एस.बी.बी.जे., भारत संचार निगम लि., के.एस.मोर्टर्स तथा पशुपालन विभाग के संयुक्त इतिहास में चल रहे वर्ल्ड पशु कल्याण पखवाड़ा-2009 को समापन एवं सम्मान समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। जैन ने आगे कहा कि समाज में विशेष कर विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा कर पशु कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। कार्यक्रम में वन संरक्षक इन्द्राज सिंह ने उन्होंने

वर्ल्ड पशु कल्याण पखवाड़ा का समापन

कहा कि पशु-पक्षी बेजुबान जरूर है लेकिन बेजान नहीं। वहीं पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. महेश कटार ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर पखवाड़े में आयोजित अन्तर्विद्यालयी चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता रोहित असीलिया (विद्याश्रम) ध्यागा गजवत (सेंट पॉल्स), आदित्य शर्मा (सेंट रेडमण्डस), हिमांशु सिंह (एस.बी.पब्लिक स्कूल) रिषभ बंसल (एम.पी.एस.), रिकू चौधरी (गोविन्दन स्कूल), रमणा शर्मा (बिर्सा डेलस) को तथ्य अन्तर्विद्यालयी वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मानसी खुट्टे (टी.पी.एस.) व द्वितीय स्थान गौरव शर्मा (एम.पी.एस.) तथा तृतीय स्थान लनीषा जयसवाल (एस.बी.पब्लिक स्कूल) तथा अन्तर्विद्यालयी कवितापाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विशेष व्यास (एस.पी.एस.) व द्वितीय स्थान श्रुति गुप्ता (टी.पी.एस.) को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

जांच लेब खुद ही 'बीमार' कैसे करें जांच

कई जांचें बंद, भुगत रहे हैं मरीज

नगर सहायता, जयपुर
सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित सेंट्रल लेब इन दिनों खुद ही 'बीमार' है, ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों को कई जांचें वहां नहीं हो पा रही हैं।

लेब की कई मशीनें प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में पुर्जा-पुर्जा हो रही हैं, वहीं कई मशीनें पिछले दो माह से अपने 'इलाज' के लिए तरस रही हैं। सेंट्रल लेब में बंद पड़ी मशीनों में कई तो ऐसे हैं, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए तक है। सेंट्रल लेब प्रदेश की सबसे बड़ी लेब है। यहां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मरीज जांच के लिए आते हैं। लेकिन लेब में मशीनें खराब होने से उन्हें मजबूरन बाहर से महंगी दूरी पर जांच करवाना पड़ रही है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. नरपत सिंह से सवाल-जवाब

सवाल- आठों एनालाइजर पिछले तीन माह से खराब हैं?
जवाब- हमने नई मशीन खरीदने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दस वर्ष पुरानी मशीन पर खर्च करना जाजब नहीं है।
सवाल- नई मशीन आने तक क्या व्यवस्था रहेगी?
जवाब- वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, जांचें नहीं रुकने दी जाएंगी।
सवाल- गैरकॉलेटेड क्लिनिकोपैथन एचबीएसो जांच भी नहीं हो रही है?
जवाब- इस जांच के लिए किट होनी चाहिए। किट बनाने वाली कंपनी सरवाई हो नहीं कर रही है। यह तकनीकी चीज है, आपको बायो-फैक्टरी जाननी होगी।
सवाल- किट की सरवाई नहीं हो रही है तो अब तक आपने प्रयास?
जवाब- जब किट होनी है तो क्या प्रयास करेंगे।

ये मशीनें हैं खराब

सेंट्रल लेब में रैबीसीटी सेल काउंट करने वाली मशीन आठों एनालाइजर पिछले तीन माह से खराब हैं। इस आठों एनालाइजर की कीमत 50 लाख रुपए है। इससे एक दिन में 200 टेस्ट किए जाते हैं। इसके अभाव में डूंग जांच भी प्रभावित।
कच्ची में एनोमिया का पता लगाने के होने वाली रेडिकल क्लोराइड काउंट जांच करने वाली मशीन भी तीन हफ्ते से खराब है। इस मशीन की कीमत 50 लाख रुपए है। बायो केमिस्ट्री लेब में डायग्नोस्टिक का पता लगाने के लिए होने वाली प्लाफकोलेटेड होमोक्लोथिन एक्सीडीसी मशीन पिछले एक महीने से समय से खराब पड़ी है।

मशीनें वर्या होती हैं खराब

अत्याधुनिक मशीनों को ऑपरेट करने से पहले लेब के स्टाफ को औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे मशीन खराब हो जाती है। मशीनें खराब होने का एक कारण केमिकल और किट सरवाई नहीं होना है। मशीनों की समस्या के लिए मैकेनिक उपलब्ध नहीं होना भी एक कारण है। सीबीसी सेल काउंट करने वाली आठों एनालाइजर इसी कारण खराब पड़ी हैं। यह मशीन बिस्फोट है और खोटी टांक नहीं हो सकती है।

किस प्रकार मानवाधिकारों का हनन हो रहा है

मांडाइटल टावर नीति बने सड़क निर्माण से पहले विभाग तालमेल बनाएं

मानवाधिकार आयोग का निर्देश

मुंबई पब्लिक स्कूल में कैंप रत खराब परिदृश की ओर से विरह प्रतियोगिता का समापन।

बच्चे क्रोध पर नियंत्रण रखें-जैन

राज्य मानवाधिकार आयोग ने माना

रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल गैरकानूनी


कहा- मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की समस्याओं पर राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन गंभीरता से विचार करें

नगर सहायता, जयपुर
राज्य मानवाधिकार आयोग ने सवाई मानसिंह अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों एसोसिएशन की ओर से 6 जून 2008 को की गई हड़ताल को गैरकानूनी

एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने मानवाधिकार आयोग को बताया दुःखड़ा

अस्पताल बीमार, डॉक्टर लाचार

जयपुर, 22 नवम्बर (कां.सं.)



आम दुखियों की आस बना राजधानी का सवाईमानसिंह अस्पताल सरकारी उपेक्षा के कारण खुद ही बीमार हो गया है। राज्य सरकार अस्पताल की स्थिति में सुधार के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की भी अनुमति कर रही है।

अस्पताल प्रशासन की ओर से मानवाधिकार आयोग को मिली रिपोर्ट कहती है कि उच्च न्यायालय का तीन साल पुराना आदेश भी दिखावटी ढंग से पूरा किया गया है। मानवाधिकार आयोग को अस्पताल में स्टाफ कम होने के मामले में दो माह से प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव के जवाब का इंतजार है। आयोग ने प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव की इस बेरखी को गम्भीर माना है और अस्पताल के हालात में सुधार के लिए किए प्रयासों की सात जनवरी तक जानकारी देने को कहा है। आयोग सदस्य गजल सिंह को पिछले साल अस्पताल में

यह परिवार दर्ज हुआ था। अस्पताल के हालात के बारे में राज्य मानवाधिकार आयोग को मिली रिपोर्ट चिंताजनक है। अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार स्टाफ की कमी से यहां ऑपरेशन थियेटर, आई.सी.यू., वार्ड व आउटडोर सभी जगह अव्यवस्थाओं का राज है। वार्डबॉय व स्वीपर्स की कमी से सफाई व्यवस्था लचर है, चिकित्सकीय अपशिष्ट ठिकाने लगाने में भी दिक्कत आ रही है। अस्पताल प्रशासन ने खुद कहा है कि इस हालात का रोगियों के उपचार पर विपरीत असर हो रहा है। इसी तरह एक वार्ड में एक या दो नर्सिंग स्टाफ को 30 से 40 मरीजों की देखभाल करनी पड़ रही है, जबकि मापदण्डों के हिसाब से नर्सिंग स्टाफ इससे कई गुणा होना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 04 में सेंनेटेशन ऑफिसर लगाने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार के असहयोग के कारण अस्पताल प्रशासन आज भी दो चिकित्सालय अवधाताओं से सेंनेटेशन ऑफिसर का काम करवा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती आदेशों की पूर्ण पालना के लिए सेंनेटेशन

सुपर स्पेशलिटी से सांस फूली

छेद दशक में सवाई मानसिंह अस्पताल में 26 प्रकार की सुपर स्पेशलिटी विकसित हुई, लेकिन इनके लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे अस्पताल की रही सही व्यवस्थाओं की भी सांस फूलने लगी है।

राहत की गुहार

अस्पताल में रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालय द्वारा जस्टिस एन.एल. मेहरा कमेटी ने चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर करने को कहा। इस बारे में प्रस्तावों की फाइल भी आगे सरकी, लेकिन स्टाफ तीन साल में भी नहीं बढ़ा। इसके विपरीत पिछले दो साल में अस्पताल में विभिन्न संवर्गों के 140 पद समाप्त कर दिए गए। अस्पताल में 25 साल में मरीजों की संख्या कई गुणा बढ़ी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और नंशालयिक कर्मचारियों पर्याप्त नहीं मिले। अस्पताल प्रशासन ने मरीज हिल में स्टाफ बढ़ाने के प्रस्ताव पर अमल के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग से देखल की गुहार की है।

इनके लिए गुहार

अस्पताल प्रशासन ने मानवाधिकार आयोग से सुरक्षा अधिकारी, सहायक अधीक्षक, स्वच्छता अधिकारी, परफ्यूजिस्ट, लेखाकार, केथर टेक्नर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन, वार्डबॉय, स्वीपर सहित अन्य के पद बढ़वाने की मांग की है।

अस्पताल के हाल

अस्पताल में भर्ती मरीज- औसतन 2100
आउटडोर में प्रतिदिन मरीज- औसतन 2300

प्रदूषण नियंत्रण के 'कागजी घोड़े'

राजधानी के रिहायशी क्षेत्र में मूर्ति निर्माण इकाइयों से प्रदूषण का मामला

शैलेन्द्र अग्रवाल
जयपुर, 9 जुलाई

आयोग भी शौचक रह गया

जुलाई तक मिल जाएगा 'सोर्स' WORLD Animal Welfare Fortnight 2009 concludes

पशुओं से प्रेम करो

संदेश के साथ सम्पन्न हुआ पशु कल्याण पखवाड़ा

शु कल्याण के लिए जनचेतना जरूरी : न्यायमूर्ति जैन

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ने राज्य मानवाधिकार आयोग को बताया दूसरी मशीन के लिए सोर्स 2013 तक

'पांचवां' मिले तो लागू हो 'छटा'

सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से 1981 में प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त चिकित्सक ने परिवार भेजकर राज्य मानवाधिकार आयोग से पांचवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन के पुनर्निर्धारण की गुहार की थी। परिवार में आयोग से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पेंशन निर्धारण का कार्य एक माह में शुरू करवाने का आग्रह किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एम.के. जैन ने पेंशन निर्धारण में देरी के कारण डेढ़ वेतन आयोग

- शशि मधोक,
निदेशक, पेंशन निदेशालय

बच्चों ने दिया सुखमय
जीवन का संदेश

A black and white photograph showing a large group of men, likely students, seated in rows in a hall or gymnasium. They are attending a lecture or assembly. The room has large arched windows in the background. The men are dressed in casual attire, including shirts and trousers. Some are looking towards the front, while others are looking down or to the side. The overall atmosphere is one of a formal gathering.

केन्द्रीय कारागार में ब्रधवार का गीता का ज्ञान लेते हुए कैदी। इनसेट में रामकृष्ण गोस्वामी

कैदियों ने सीखा गीता-सार

कर्म ही आधार है
गोस्वामीजी ने कैथियाँ को कर्म की
प्रधानता बताते हुए कहा कि आज यदि
आप लोग कारागार में ही तो ही इराक का जेल
सिर्फ आपकी कर्म ही है, इसलिए कर्म की
अर्थात् परमायुष्य का रस्ता यहि है। कार्यक्रम
में स्थान का अनुकूल पद्धतिकावियों
सहयोगियों ने भाग लिया। गौतम की पुस्तक
सभी कैथियों को नई कोर्मा में मिलने पदायु
में यह कक्षा नाबद्धा 65 हरिको
गबरत के लिए प्रस्थान करण।

मानवाधिकार की नजर स्वास्थ्य सेवाओं पर

जयपुर 5

‘बदलनी होगी मानसिकता’

महिला विधि महाविद्यालय में ‘लॉ एंड एलिमिनेशन ऑफ डिसक्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमन’ विषयक सेमिनार

जेजे रिपोर्टर

जोधपुर, 6 मार्च। महिलाओं से भेदभाव मिटाने के लिए मात्र कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। लोगों को अपनी मानसिकता बदलने के साथ उसे व्यवहार में लाना होगा। यह विचार शुक्रवार को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एनके जैन ने महिला विधि महाविद्यालय में आयोजित ‘लॉ एंड एलिमिनेशन ऑफ डिसक्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमन’ विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र में व्यक्त किए।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय और महिला विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यूजीसी सेमिनार में जस्टिस जैन ने राजा राममोहन राय के नारी सशक्तिकरण के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए लिंग



भेद को समाप्त करने सम्बन्धी भारतीय संविधान के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के प्रो. डीएन जौहर ने पंजाब में लिंगानुपात की स्थिति पर चिंता जताते दहेज प्रथा और एनआरआई विवाह को इसका जिम्मेदार ठहराया। जेएनवीयू के पूर्व कुलपति प्रो. एमएल

माधुर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर महिलाओं से भेदभाव मिटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीकों को लघु नाटिका, पुस्तक, पोस्टर के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाना होगा।

भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पुरुषों से ऊंचा स्थान प्राप्त है। लिंग भेद जैसे गंभीर विषय पर समाज को सोच बदलने की जरूरत है। सेमिनार के डायरेक्टर प्रो. आरएन शर्मा ने विषय की जानकारी देते हुए कहा कि वैदिक काल को छोड़कर देश में कभी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। आंकड़े बताते हैं कि तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण प्रदेश माने जाने वाले राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

मानवाधिकार विभाग सम्मेलन कल

जयपुर, 13 मार्च (कासं)। प्रदेश कांग्रेस मानवाधिकार विभाग का सम्मेलन रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री बृजकिशोर शर्मा, विधायक जकिरुल इनाम और प्रतापसिंह खाचरियावास मौजूद रहेंगे। मुख्य वक्ता राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एनके जैन होंगे। अध्यक्षता विभाग के प्रदेशाध्यक्ष जस्टिस आईएस इसरानी करेंगे।

1495 में से 221 नमूने अशुद्ध

मिलावटियों की मौज

खाद्य निरीक्षक के 34 पद 23 साल से खाली

मानवाधिकार आयोग ने उठाया सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल

जयपुर, 25 दिसम्बर (कासं.)

इस साल खाद्य वस्तुओं के 1495 नमूनों में से 221 में मिलावट पाई गई, 2007 में 1903 में से 223 नमूने मिलावटी निकले। ये मिलावटी पदार्थ नमूने लेने के बाद भी बाजार में बिकते रहे। वजह, खाद्य निरीक्षकों की कमी से नमूनों की जांच समय पर नहीं हो पाई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. बी.आर. मीणा ने स्वयं राज्य मानवाधिकार आयोग में एक मामले की सुनवाई के दौरान इसका

खुलासा किया। 1985 से अब तक खाद्य निरीक्षक के 34 पद खाली हैं, उनके स्थान पर 21 स्वास्थ्य निरीक्षकों से काम लिया जा रहा है।

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने इस स्थिति पर गम्भीर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब समय पर कार्रवाई नहीं हो तो उसका फायदा क्या है? लम्बे समय तक खाद्य निरीक्षक के पदों को नहीं भरना सरकार की संवेदनहीनता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला स्थापित करे और नियमित पात्र स्टाफ लगाए। आयोग ने परिवाद निस्तारित कर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से खाद्य निरीक्षकों के स्वीकृत पदों को शीघ्र भरने, मिलावटी वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए मुस्तैदी दिखाने को कहा है। साथ ही तीन माह में पाठ्य रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाये : मुख्यमंत्री

हर थाने में लगेंगे कानूनी जानकारी के सूचनापट्ट

पुलिस महानिदेशक मीणा ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जैन से मुलाकात

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान पुलिस आम नागरिकों को मानवाधिकारों और कानून की जानकारी देने वाले सूचनापट्ट हर थाने में लगाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया कि मानवाधिकारों के मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन. के. जैन से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग पौन घंटा बातचीत हुई। जैन, ने मीणा को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के डी के बसु मामले में थाने में आम नागरिक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश की पालना की जाएगी। जैन ने जानकारी दी कि मानवाधिकार आयोग में शिकायत के बाद परिवादी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। मीणा ने ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। दोनों के बीच मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग और पुलिस के बीच सामन्जस्य स्थापित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

महिलाओं की दयनीय स्थिति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

जोधपुर, (निसं)। आज से कानून एवं महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करना... विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जयनारायण विश्वविद्यालय एवं महिला विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। महिला महाविद्यालय के सभागार में शुरू हुई इस संगोष्ठी का उद्घाटन न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएनवीयू के कुलपति डॉ. लोकेश कुमार शेखावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डी.एल. जीहर ने की। संगोष्ठी के निदेशक विधि संकाय के प्रो. रामनिवास शर्मा ने बताया कि आदिकाल से पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। वैदिक काल को छोड़कर स्मृति काल से देश के स्वतंत्र होने तक महिलाओं का स्तर व स्थिति दोगधन दर्जे की रही है और महिला ज्यादातर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरुष पर निर्भर रही है। प्रो. शर्मा ने बताया कि पश्चिमी देशों में भी महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 जारी होने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास शुरू हुआ। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रथम बार हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति एवं स्तर में सदस्य राष्ट्रों की उदासीनता के कारण ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। सुधार को तेजी से अग्रगति करने के उद्देश्य से 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की कन्वेंशन को संघ के सभी सदस्य राष्ट्र को स्वीकार करने के लिए कहा।

मानवाधिकारों का नहीं होने देंगे हनन

मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष से मुलाकात जयपुर, 4 मार्च। राज्य सरकार मानवाधिकारों को लेकर पूरी तरह गंभीर है किसी भी स्तर पर मानवाधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने मानवाधिकार आयोग की बेहतर कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया। मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने बुधवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन से मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में मुलाकात की। लगभग आधा घंटे तक चली मुलाकात में दोनों के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। जैन ने सिंह को मानवाधिकारों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रतिज्ञा दिलवाने के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि यह अभिनव प्रयोग है इससे बालकों के बीच अच्छे संस्कार पैदा होंगे। मंगलवार को जैन से राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हरीश मीणा ने मुलाकात की थी।



है किसी भी स्तर पर मानवाधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने मानवाधिकार आयोग की बेहतर कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया। मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने बुधवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन से मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में मुलाकात की। लगभग आधा घंटे तक चली मुलाकात में दोनों के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। जैन ने सिंह को मानवाधिकारों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रतिज्ञा दिलवाने के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि यह अभिनव प्रयोग है इससे बालकों के बीच अच्छे संस्कार पैदा होंगे। मंगलवार को जैन से राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हरीश मीणा ने मुलाकात की थी।

टर्न ओवर के फेर में दवाइयों की गुणवत्ता से कैसा समझौता

मानवाधिकार आयोग का चिकित्सा सचिव को नोटिस

नवज्योति ब्यूरो
जयपुर, 18 मार्च। लाइफ लाइन में दवाइयों की खरीद के मामले में एक सौ करोड़ रुपए के टर्न ओवर की शर्त पर मानवाधिकार आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि टर्न ओवर से गुण-अवगुण का क्या लेना-देना है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि लाइफ लाइन योजना के पीछे गरीब मरीजों को उचित कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध कराना था। लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर की स्थापना से मरीजों को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयाँ और सर्जिकल उत्पाद सहजता से उपलब्ध होती है। उन्होंने पूछा है कि विक्रय की जाने वाली उत्पादों का खुली निविदाओं में एक

सौ करोड़ रुपए के टर्न ओवर की शर्त से दवाइयों की क्वालिटी का कैसे आंकलन होगा। मानवाधिकार आयोग में विपिन गुप्ता और प्रेम प्रकाश वर्मा ने शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने शिकायत की थी कि एक सौ करोड़ रुपए के कारोबार की शर्त को शामिल करने के लिए 11 चिकित्सकों की कमेटी ने 11 महीने के बाद अनुमोदन कर दिया और अनुमोदन में किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया।



IT HAS BEEN SEEN, THAT TODAY'S SCENARIO EVERYONE IS DEMANDING ABOUT HIS RIGHT. NOBODY IS BOTHERING FOR HIS DUTIES. IF ONE DISCHARGE HIS DUTY WITH COMPLETE DEDICATION THEN RIGHT OF OTHER AUTOMATICALLY PROTECTED.

(Justice N.K. Jain)

Vidhan Sabha



ACKNOWLEDGEMENT

It gives me great pleasure to express my deep sense of gratitude to all concern person particularly Hon'ble Chair person Justice N.K Jain , under his able guidance , inspiration and encouragement I have completed this project. I am very thankful to Rajasthan State Human Rights Commission for giving me a chance to do the internship here.

Dr. Ram Manohar
Lohiya National Law
University Lucknow,

